

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

बनाम खरना क देसूरी
 किस मुकदमा राजस्व वाद नम्बर 53/ सन 2018
 अन्तर्गत धारा 188 R.T.A


तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
26/11/18	<p>वकील वादी मय वादी उपर वादीगण द्वारा वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 R.T.A प्रस्तुत किया प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जदिये सम्मान तलब किए जावे। प्रजावली दिनांक 26-11-18 को प्रस्तुत हो।</p> <p>26/11/18 वकील वादी उपस्थित। प्रजावली सम्मान का इत्पार कर दिनांक 26/11/18 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी देसूरी</p> <p>उपखण्ड अधिकारी देसूरी</p>

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर य तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

15/5/2024

वादीगण मय अधिकता अनुपस्थित। अधिकता उपस्थित
-अण उपस्थित। वादीगण मय अधिकता वादीगण को
रान बार एवम् बार-बार आवजे लगवाई 5 बजे
और आवजे लगवाई गई। वादीगण मय अधिकता
का - बावजूद आवजों के अनुपस्थित हैं। अति:
बाद वादीगण वादी को अमद हजार अडम पेशवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला
शुमार शेकर मन्बर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (फारसी)